

श्रीमान वैभव भाव से कर निर्धारण (पुरानी एवं नई प्रणाली में) अंतर

एब उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे कि क्या कर प्रणाली (वित्त वर्ष 2020-21) अच्छा है या उससे पूर्व का ?

उदाहरण - श्रीमान वित्त वर्ष 2020-21 में वेतन ग्रही है

निम्न भाग प्राप्त करता है :

- (1) Basic Salary - Rs 1,00,000 P.M.
- (2) HRA - Rs 50,000 Per Month (monthly)
- (3) Special Allowance - Rs 21,000 P.M.
- (4) LTA - Rs 20,000 Annual.

मौजुदा 40,000 रु. निष्क्रिय रूप में दिल्ली में मुजुदा करे हैं। क्या वे रूप में 8000 रु. (सेविंग्स) तथा 12000 रु. फिफ्टिड लगा ले आये हैं।
अब कुछ विनिर्गोत निम्न है :-

- PPT Investment 50,000
- ELSS Purchase 20,000
- LIC Premium 12,000

अब दोनों का तुलना नयी एवं पुरानी का अंतर देखेंगे :-

Nature	Amount (Old)	Amount (New)
Income from Salary:		
Basic (100000 x 12)	12,00,000	12,00,000
HRA (Red. 3,60,000)	3,60,000	3,60,000
Special Allowance	2,52,000	2,52,000
LTA (Bin Submitted)	8,000	20,000
Standard Deduction	50,000	-
	16,50,000	20,72,000
Deductions:		
Sec 80C	(-) 1,50,000	
Sec 80D	(-) 12,000	
Sec 80TTA	(-) 8,000	(+) 20,000
	(+) 20,000	
Income from other sources		
Gross Total Income	15,00,000	20,92,000
Tax on Total Income (including cess)	2,73,000	3,79,704